

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर, जिला - उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाडियां R.A.S.

GCMS प्रकरण संख्या...2021/871

प्रकरण संख्या...94/2021

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम 1956

अनवान

श्री कमलेशपुरी

बनाम


राज्य सरकार

दिनांक 17/12/21

1. प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रशासन गांवों के संग अभियान शिविर में प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रार्थी ने निवेदन किया की प्रार्थी की भूमि ग्राम जसवन्तपुरा, पटवार हल्का सारंगपुरा कानोड़, तहसील कानोड़ में जमाबन्दी सवत् 2078-81 की खाता संख्या 35 की खसरा संख्या 250, 251, 252, 277, 278, 346, 359, 413, 414, 415, 426, 569, 692, 693 कुल किता 14 कुल रकबा 2.9400 हैक्टेयर में नाम कालुपुरी पुत्र किशनपुरी हिस्सा 1/12 दर्ज है जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम कमलेशपुरी पिता किशनपुरी जाति गुसाई है, प्रार्थी के सभी राजकीय दस्तावेजों में यही नाम अंकित है लेकिन गलती से खाता संख्या 35 की खसरा सं. 250, 251, 252, 277, 278, 346, 359, 413, 414, 415, 426, 569, 692, 693 कुल किता 14 कुल रकबा 2.9400 हैक्टेयर में नाम कालुपुरी पुत्र किशनपुरी लिखा हुआ है। अतः प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उक्त आराजियात में प्रार्थी का नाम कालुपुरी पुत्र किशनपुरी की बजाय कमलेशपुरी पिता किशनपुरी जाति गुसाई किया जावे।
2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज किया गया एवं तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट जिसमें बताया कि कालुपुरी पुत्र किशनपुरी को कमलेशपुरी पिता किशनपुरी जाति गुसाई किये जाने की अनुशंषा की एवं ग्राम पंचायत सारंगपुरा कानोड़ द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया जिसमें बताया कि कमलेशपुरी एवं कालुपुरी दोनो एक ही व्यक्ति है एवं गांव में यह इन्हीं दोनो नामों से जाना जाता है। प्रार्थी के राजस्व रेकॉर्ड में अंकित सहखातेदारों ने भी अपनी सहमति प्रकट की जिसमें उन्होंने बताया की ग्राम जसवन्तपुरा पटवार हल्का सारंगपुरा कानोड़, तहसील कानोड़ में जमाबन्दी सवत् 2078-81 की खाता संख्या 35 की खसरा संख्या 250, 251, 252, 277, 278, 346, 359, 413, 414, 415, 426, 569, 692, 693 कुल किता 14 कुल रकबा 2.9400 हैक्टेयर में नाम कालुपुरी पुत्र किशनपुरी हिस्सा 1/12 दर्ज है जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम कमलेशपुरी पिता किशनपुरी जाति गुसाई है, प्रार्थी के सभी राजकीय दस्तावेजों में यही नाम अंकित है लेकिन गलती से खाता संख्या 35 की खसरा सं. 250, 251, 252, 277, 278, 346, 359, 413, 414, 415, 426, 569, 692, 693 कुल किता

14 कुल रकबा 2.9400 हैक्टेयर में नाम कालुपूरी पुत्र किशनपुरी लिखा हुआ है। हम सभी सहखातेदार सहमत हैं की उनके भाई का नाम कालुपूरी की बजाय कमलेशपुरी किया जाये। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड जिसमें प्रार्थी का नाम कमलेशपुरी पिता किशनपुरी दर्ज है।

3. हमने पत्रावली का अध्ययन किया सम्पूर्ण दस्तावेजों का अवलोकरण करने प्रार्थी एवं विपक्षी द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं बहस पर मनन करने के बाद प्रार्थी के नाम दर्ज ग्राम जसवन्तपुरा पटवार हल्का सारंगपुरा कानोड़, तहसील कानोड़ में जमाबन्दी सवत् 2078-81 की खाता संख्या 35 की खसरा संख्या 250, 251, 252, 277, 278, 346, 359, 413, 414, 415, 426, 569, 692, 693 कुल किता 14 कुल रकबा 2.9400 हैक्टेयर में नाम कालुपूरी पुत्र किशनपुरी हिस्सा 1/12 दर्ज है जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम कमलेशपुरी पिता किशनपुरी जाति गुसाई है, प्रार्थी के सभी राजकीय दस्तावेजों में यही नाम अंकित है लेकिन गलती से खाता संख्या 35 की खसरा सं. 250, 251, 252, 277, 278, 346, 359, 413, 414, 415, 426, 569, 692, 693 कुल किता 14 कुल रकबा 2.9400 हैक्टेयर में नाम कालुपूरी पुत्र किशनपुरी लिखा हुआ है। अतः खाता संख्या 35 में प्रार्थी का नाम कालुपूरी की बजाय कमलेशपुरी पिता किशनपुरी किया जाना उचित प्रतीत होता है।
4. अतः प्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड पटवार हल्का सारंगपुरा कानोड़, तहसील कानोड़ में जमाबन्दी सवत् 2078-81 की खाता संख्या 35 की खसरा संख्या 250, 251, 252, 277, 278, 346, 359, 413, 414, 415, 426, 569, 692, 693 कुल किता 14 कुल रकबा 2.9400 हैक्टेयर में नाम कालुपूरी पुत्र किशनपुरी हिस्सा 1/12 दर्ज है जिसको कालुपूरी पुत्र किशनपुरी की बजाय कमलेशपुरी पिता किशनपुरी किया जाता है। तहसीलदार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे।
5. निर्णय खुले इजलास मजमें आम प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प कोर्ट सारंगपुरा कानोड़ में सुनाया गया। पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।


(रमेश सीरवी पुनाड़िया RAS)
उपखण्ड अधिकारी
भीण्डर जिला-उदयपुर(राज.)